न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.

(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट धीरोडा)

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

वाद संख्या :– 02 / 182 / 2016

<u>कानी बनाम सरकार</u>

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 29.05.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट धीरोडा पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 10.11.2016 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 279 / 0.48 है. वाके ग्राम धीरोडा तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 30.12.2016 तक इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी कि वो विवादित आराजी की मौके की यथास्थिति बनाये रखें तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाने के आदेश जारी किए गए। अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित न्यायालय होकर जवाब प्रस्तुत किया जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थी तथ्यों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत 2072–75 खाता संख्या 233 वाके ग्राम धीरोडा के अंकित इन्द्राज से आराजी विवादित प्रार्थी की खातेदारी में होना प्रथम दृष्टया साबित है ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया केस सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में पाये जाने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिल स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 279 / 0.48 है. वाके ग्राम धीरोडा तहसील राजगढ स्वीकार किया जाकर आराजी विवादित की दावे के निर्णय तक मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय आज दिनांक 29.05.2018 कैम्प कोर्ट धीरोडा पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट धीरोडा)